to be finalised by the end of December, 1980 or the first fortnight of January, 1981.

(b) No delay is envisaged in finalising the draft according to schedule.

(c) Does not arise.

उच्च वोल्टता (हाई-टेंशन) इंसुलेटर और इलैक्ट्रिक मीटर कारखाने की स्थापना के लिए आशय-पत्र

3163. **श्री निहाल सिंह:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है जिसमें उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में 15 करोड़ रु. की लागत से उच्च वोल्टता इंसुलेटरों और इलेक्ट्रिक मीटरों का निर्माण करने के लिए एक कारखाने की स्थापना करने हेतु एक आशय-पत्र जारी करने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना): (क) 4500 मी. टन की वार्षिक क्षमता के लिए हाई टेन्शन इन्सुलेटर्स के उत्पादन हेतु उत्तर प्रदेश के एक पिछड़े क्षेत्र में एक नया उपक्रम स्थापित करने के लिए 31-8-77 को मैसर्स उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर को एक आशय-पत्र जारी किया गया था। आशय पत्र की वैधता अवधि 28 फरवरी, 1981 तक बढ़ा दी गई है।

(ख) चूंकि आवेदक पार्टी द्वारा आशय-पत्र का कार्यान्वयन अभी किया जाना है अत: इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

ट्रेड यूनियन प्रतिस्पर्धा के कारण उद्योगों का बन्द होना

3174. **श्री विकास मुत्तेमवार:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्थायी समिति तथा श्रम मंत्रियों ने नई दिल्ली में पिछले सितम्बर में हुई अपनी बैठक में इस तथ्य पर विचार किया था कि बम्बई में अनेक बड़े उद्योग पिछले कुछ वर्षों के दौरान ट्रेड यूनियन के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण कई महीनों तक बंद रहे थे;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने बम्बई तथा अन्य औद्योगिक उप-नगरों की सभी ट्रेड यूनियनों के बीच आपसी विवादों, मारपीट की घटनाओं और हिंसात्मक गतिविधियों की गंभीरता के कारण पैदा होने वाले व्यापक परिणामों पर विचार किया था; और

(ग) केन्द्र सरकार का मजदूर यूनियनों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा की समस्या के समुचित हल तथा स्वस्थ श्रमिक आन्दोलन के विकास के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या कदम उठाने का विचार है?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी. वेंकट रेड्डी): (क) से (ग). उठाए गए मामले 15-16 सितम्बर, 1980 को हुई श्रम मंत्रियों की स्थायी समिति की प्रथम बैठक में विशेष विचार-विमर्श के लिये नहीं लाए गए। महाराष्ट्र राज्य में महाराष्ट्र ट्रेड यूनियन मान्यता और अनुचित श्रम पद्धति निवारण अधिनियम, 1971 नामक राज्य कानून पहले से ही विधमान है, जिसके अन्तर्गत ऐसे पहलुओं पर कार्यवाही की जा सकती है। महाराष्ट्र कानून के आधार पर समुचित केन्द्रीय विधानों में उचित और अनुचित पद्धतियों को सूचीबद्ध करने का प्रश्न राष्ट्रय श्रम सम्मेलन के समक्ष रखा जाएगा।

Regularisation of Grade IV Posts in Indian Statistical Service

3175. SHRI SANAT KUMAR MANDAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 20 posts recognised as higher feeder posts in the scale of Rs. 650-1200 in the Indian Statistical Feeder exist mostly in two Ministries/Departments, viz., Irrigation and Mines and lower feeder post-holders of all other par-